संख्या 646-2024/1651-41-1-2024-सी0एन0-1769046-2024

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2024

विषयः-जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-259/8-16 (पी०पी०पी०)/टेम्पल म्यूजियम/2023-24, दिनांक 19 अप्रैल, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमधरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि० जुमला टाटा संस, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की भागीदारी से गठित एस०पी०वी० के माध्यम से मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन किये जाने हेतु मा० मंत्रिपरिषद हेतु तैयार की टिप्पणी एम०ओ०यू० पत्र के साथ संलग्न कर त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० को हस्ताक्षरित कराने हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रतर कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में घरेलू पर्यटकों एवं विदेशी पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध प्राकृतिक वन सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या एक विश्वस्तरीय धार्मिक एवं अध्यात्मिक पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित हो रहा है। अयोध्या में वर्ष 2021 में लगभग 1.58 करोड़ पर्यटक आये थे। वर्ष 2022 में लगभग 2.40 करोड़ तथा वर्ष 2023 में लगभग 5.75 करोड़ पर्यटक आये थे। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्म भूमि प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरान्त अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व गुणात्मक वृद्धि हुई है। 22 जनवरी 2024 से प्रतिदिन लगभग 2 से 4 लाख पर्यटक अयोध्या धाम आ रहे हैं। वर्तमान में अयोध्या आने वाले पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केन्द्र श्रीराम जन्मभूमि परिसर एवं समीपवर्ती स्थित कनक भवन, हनुमान गढ़ी एवं अन्य धार्मिक स्थल हैं। उक्त पर्यटक प्रायः धार्मिक पूजा अर्चना एवं श्रृद्धाभाव से अयोध्या आते हैं। नई पीढ़ी के युवाओं, विदेशी पर्यटकों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रूचि रखने वाले अन्य पर्यटकों को अयोध्या के प्रति आकर्षित करने हेतु आवश्यक पर्यटक गन्तव्य का वर्तमान में अयोध्या में एक प्रकार का अभाव है।

अयोध्या में एक विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण से मंदिर संबंधी गौरवशाली इतिहास, दर्शन एवं वैज्ञानिक सिद्धान्तों को समेकित रूप से एक स्थल पर प्रदर्शित किया जा सकेगा। उक्त संग्रहालय भारतीय संस्कृति, भाषा, आध्यात्म, धर्म, शिल्प, वेद विज्ञान तथा भारतीय दर्शन के संरक्षण एवं उन्नयन के केन्द्र के रूप में विकसित होगा। उक्त संग्रहालय के माध्यम से प्राच्य विद्या, वैदिक संस्कृति, मंदिर वास्तु, स्थापत्य व अन्य संबंधी कलाओं का प्रदर्शन व शिक्षण किया जायेगा। इससे अयोध्या में एक नये एवं विशिष्ट प्रकार के पर्यटक आकर्षण का विकास होगा तथा भारतीय मंदिरों से संम्बन्धित विरासत में अधिक से अधिक लोगों की अभिरूचि उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अत्यन्त समृद्धशाली प्रदेश है। मंदिरों में पर्यटकों की अभिरूचि उत्पन्न होने से मधुरा, काशी, प्रयागराज, विन्ध्याचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर आदि धार्मिक स्थलों में स्थित प्राचीन मंदिरों में भी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा। जिससे प्रदेश में राजस्व एवं रोजगार के नये अवसर सृजित्त

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

होगें तथा उत्तर प्रदेश की समृद्ध मंदिर विरासत को विभिन्न राज्यों एवं राष्ट्रों के पर्यटकों के मध्य एक आकर्षण केन्द्र एवं पर्यटन ब्राण्ड के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

3- इस क्रम में कम्पनी सचिव, टाटा सन्स प्रा.लि. का मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र दिनांक 15 मार्च, 2024 एवं महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश को संबोधित पत्र दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्राप्त प्रस्तावों में टाटासंस द्वारा भारतीय मंदिर स्थापत्य कला तथा मंदिरों से सम्बन्धित सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से लोगों को परिचित कराने एवं अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही मंदिर सम्बन्धी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अवधारणा व दर्शन के संरक्षण हेतु अपने सी०एस०आर० फण्ड से एक विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं इसका सुचारू रूप से प्रबन्धन/संचालन करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है। उक्त कार्य हेतु एक गैर लाभकारी एस०पी०वी० का गठन कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 08 के अधीन किया जायेगा, जिसमें भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। प्रस्तुत प्रस्ताव में उक्त एस०पी०वी० को मंदिर संग्रहालय निर्माण, प्रबन्धन तथा संचालन के लिये अयोध्या विकास क्षेत्र में उपयुक्त भूमि के उपयोग का 90 वर्ष का लाइसेंस रू0 1/- प्रतिवर्ष की टोकन दर से प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि पर टाटासंस द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से एस०पी०वी० के माध्यम से भारतीय मंदिर संग्रहालय (Indian Temple Museum) का निर्माण कराया जायेगा एवं बिना किसी वित्तीय उपाशय/लाभार्जन के उक्त मंदिर संग्रहालय का विकास, प्रबन्धन एवं संचालन किया जायेगा।

4- मंदिर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्राचीन काल से ही एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक केन्द्र के अतिरिक्त भारतीय मंदिर निष्पादन कलाओं (परफार्मिंग आर्ट), दृष्य कलाओं (विजुअल आर्ट), ललित कलाओं तथा नृत्य रूपों के संरक्षण एवं उन्नयन केन्द्र के रूप में सनातन काल से विद्यमान है। मंदिरों के रूप में जीवित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा तत्संबंधी स्थापत्य, मूर्ति कला, अन्य कलाओं को समेकित रूप से प्रदर्शित करता हुआ संग्रहालय भारत में ऐसा पहला संग्रहालय होगा, जो कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में अत्यन्त लाभप्रद होगा।

5- अयोध्या में मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु तहसील सदर के ग्राम मांझा जमधरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि० जुमला को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1/443049/2023 दिनांक 06-12-2023 निर्गत किया गया है। टाटासंस के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 26-03-2024 को उक्त भू-खण्ड का निरीक्षण किया गया एवं दिनांक 27-03-2024 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार एवं सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उक्त भू-खण्ड के भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उपयुक्त होने के संबंध में अवगत कराया गया।

उक्त भूमि को अयोध्या महायोजना 2031 में पार्क ओपन स्पेस के रूप में उपयोग किये जाने हेतु चिन्हांकित किया गया है। मंदिर संग्रहालय निर्माण से पूर्व उक्त भूमि का भू उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अन्य स्थल पर समतुल्य भूमि पार्क ओपन स्पेस के रूप में चिन्हांकित करने की कार्यवाही की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-983/तीन-2020-47-2(94) दिनांक 20 जनवरी, 2021 से आच्छादित होने के कारण युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने के अभ्यास हेतु प्राधिकृत 13391 एकड़ में सम्मिलित है। इसके संबंध में यह अवगत कराया गया है कि अधिसूचना होने से लेकर अब तक इस भूमि का कभी इस प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया है तथा अब इस भूमि के आसपास अयोध्या नगर के विकास के साथ ही रिहायशी क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। मंदिर संग्रहालय के निर्माण से पूर्व उक्त शासनादेश में संशोधन कर कुल भूमि में से उक्त वर्णित 25 एकड़ भूमि को अधिसूचना से मुक्त किया जाना भी आवश्यक है।

6- दिनांक 27-03-2024 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार एवं सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में उपस्थित टाटासंस के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि टाटासंस द्वारा अयोध्या में भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु सी०एस०आर० फण्ड से लगभग रू0 650 करोड़ का व्यय तथा प्रश्नगत भूमि में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं एवं साइट के विकास हेतु लगभग रू0 100 करोड़ का व्यय किया जाना संभावित है। इस प्रकार टाटासंस द्वारा कुल लगभग रू० 750

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करोड़ का संभावित व्यय अपने सी०एस०आर० फण्ड से भारतीय मंदिर संग्रहालय के विकास हेतु किया जायेगा।

7- टाटा संस सरीखे प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराये जाने से मन्दिर संग्रहालय निर्माण में प्रवीणता एवं दक्षता परिलक्षित होगी. साथ ही साथ प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की भी बचत होगी जिसे अन्य जनोपयोगी परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जा सकेगा।

8. अतः अयोध्या में एक विश्वस्तरीय मन्दिर संग्रहालय के निर्माण से अयोध्या में तथा प्रदेश के अन्य स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटासंस की प्रतिष्ठा, प्रवीणता एवं सी०एस०आर० फण्ड द्वारा मंदिर संग्रहालय की स्थापना एवं संचालन किये जाने की प्रदर्शित इच्छा से प्रदेश सरकार के बजट में होने वाली बचत तथा प्रदेश में राजस्व एवं रोजगार के नये अवसरों के सृजन के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव जनहित में ग्राह्य किया जाना उपयुक्त होगा।

9- टाटासंस के सहयोग से अयोध्या में मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार एवं टाटासंस प्रा.लि. के मध्य हस्ताक्षरित होने वाले त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० के आलेख को सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में विभिन्न बैठकों एवं विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अन्तिमीकृत किया गया है। तदुपरांत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ०ने०-एम-1-24/01/2024-म्यूजियम-1, दिनांक 04 जून, 2024 द्वारा उक्त एम०ओ०यू० पर सहमति प्रदान कर दी गयी है।

10- उपरोक्त परियोजना में टाटा सन्स/कार्यान्वयन इकाई, उत्तर प्रदेश सरकार एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के दायित्व निम्नवत् होंगेः-

<u>टाटा सन्स एवं कार्यान्वयन इकाई के दायित्वः-</u>

- एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुसार, एक गैर-लाभकारी एस०पी०वी० (जिसे कार्यान्वयन इकाई कहा जाता है) को टाटा सन्स द्वारा सीधे अथवा संबंधित सहयोगी कम्पनी के साथ स्थापित किया जाएगा, जो मंदिर संग्रहालय की स्थापना, वित्तपोषण (सहायता से अथवा स्वयं की जिम्मेदारी से, या टाटा समूह की अन्य कंपनियों या किसी अन्य के सहयोग से व्यक्ति/संस्था को दान या सी०एस०आर० फंड के माध्यम से निधि देकर), संचालन, प्रबंधन और संग्रहालय का रखरखाव का कार्य करेंगें।
- कार्यान्वयन इकाई भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कन्टेण्ट डॉक्यूमेण्ट (Content Document) के अनुसार मंदिर संग्रहालय विकसित, क्यूरेट और प्रदर्शित करेगी। कन्टेण्ट डॉक्यूमेण्ट (Content Document) के अनुसार संबंधित बौद्धिक संपदा या कलाकृतियों को प्राप्त करने में कठिनाई होने पर, टाटा संस तथा भारत सरकार द्वारा ऐसी बौद्धिक संपदा या कलाकृतियों प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जायेगा, ऐसा न करने पर, वे ऐसे बौद्धिक संपत्ति या कलाकृतियाँ प्राप्त करने के लिए विकल्पों का परस्पर मूल्यांकन करेंगे।
- कार्यान्वयन इकाई द्वारा सहायक गतिविधियां (यथा-टिकट विक्रय, सोविनियर विक्रय, कैफे, गाइडेड टूर, शैक्षणिक कार्यक्रम, सशुल्क कार्यशाला इत्यादि) इस उद्देश्य से प्रारम्भकी जायेगी कि संग्रहालय के संचालन और रखरखाव की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके। संग्रहालय के प्रारम्भ तिथि से प्रारंभिक 3 वित्तीय वर्षों में संग्रहालय के संचालन और रखरखाव में वित्तीय कमी होने पर संग्रहालय के संचालन का खर्च टाटा सन्स द्वारा वहन किया जाएगा। 03 वर्षों के उपरान्त यदि कोई कमी बनी रहती है. तो कार्यान्वयन इकाई, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय मुद्दों को संबोधित करने और समाधान करने के लिए सद्भावनापूर्ण चर्चा के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत उपाय प्राप्त करेगी।
- एम०ओ०५० के प्रावधान के अनुसार टाटा सन्स/कार्यान्वयन इकाई अन्य सभी दायित्वों को निष्पादित और पूरा करेगी।

<u>उत्तर प्रदेश सरकार के दायित्व</u>

http://shasanadesh.up.gov.in

- उत्तर प्रदेश सरकार लाइसेंस अनुबंध के अनुसार कार्य करेगी तथा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय एवं अन्य सहायक गतिविधियों के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग की लगभग 25 एकड़ भूमि, 90 (नब्बे) वर्षों तक प्रति वर्ष 1 रुपये की टोकन लाइसेंस फीस पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों और लाइसेंस के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निष्पादन तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर कार्यान्वयन इकाई को सौंप देगी।
- लाइसेंस अवधि 90 (नब्बे) वर्ष की होगी, और कार्यान्वयन इकाई के लिखित अनुरोध पर लाइसेंस अवधि को अगले 90 (नब्बे) वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और कार्यान्वयन इकाई के बीच सहमत शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
- संग्रहालय के निर्माण हेतु समन्वय के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एक नोडल अधिकारी) की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, जो लागू मानदंडों के अनुसार सभी अनुमोदन, मंजूरी और एन०ओ०सी० प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार संग्रहालय के संचालन चरण में सरकारी सुविधाओं के समान प्रचलितशुल्क के अनुसार कार्यान्वयन इकाई को बिजली, पानी आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी।
- स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा लाईसेन्स से संबंधित अन्य शुल्क/प्रभारों में छूट प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार समझौता ज्ञापन के अनुसार अनुसूची। एवं अनुसूची-॥ में उल्लिखित दायित्वों का अनुपालन करेगी।
- अनुसूची-। एवं अनुसूची-॥ में उल्लिखित दायित्व एवं तत्संबंधी विभाग निम्नवत् हैं

SCHEDULE I

OBLIGATIONS OF THE GOUP

I. SITE INFORMATION

1. GPS Coordinates of proposed Land boundary. (पर्यटन विभाग)
2. Restrictions, easements, encroachments, zoning (राजस्व विभाग)
3. Prevailing building construction norms of Ayodhya Development Authority (आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग)
4. HFL and LFL of the waterbody present near the proposed Land. (सिचाई विभाग)
5. Ayodhya Masterplan 2031: The information/drawings/details from State/Local Authorities to the following: (आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग नगर विकास विभाग)

a. Proposed road widening section with respect to the Land boundary along with any planned infrastructure lines.

b. Existing underground public utility scheme.

c. Water supply, sewage, electrical etc. tapping points for the proposed Land and adjacencies.11.

II LAND PARCEL

1. Conversion of land use, wetland conversion if applicable, diverting of any canal for a contiguous land piece if applicable (आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग)
2. Providing access road of appropriate width to the proposed Land and Construction Work Land Parcel (as defined in point 4 of para III below) for efficient transportation of materials and movement of construction equipment. (लोक निर्माण विभाग)
3. Facilitate in providing requisite permission for groundwater extraction on the Land. (राजस्व विभाग)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. Providing electricity connection at the proposed Land and the Construction Work Land Parcel of adequate capacity to carry out constriction activity, labor camp, run ground water extraction pumps, etc. (ऊर्जा विभाग)
5. Removal of all existing unwanted utility & associated structure (whether underground or overground from the construction area of the Land). (राजस्व विभाग)
6. Making requisite arrangements to ensure no waterlogging on the Land and Construction work land parcel. (सिंचाई, नगर विकास विभाग)

III SITE CONSTRUCTION PHASE

1. Provide Single Window Clearances for statutory approvals necessary to expedite the construction of the Museum. (पर्यटन विभाग)

2. Engage in good faith discussions with the relevant Government Instrumentality for providing relaxation on FAR and height restriction should such relaxations be necessary for constructing the Museum in accordance with the approved design. (आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग)
3. Necessary flexibility in application of regulations of the relevant Government Instrumentality towards designing of the Museum within overall acceptable norms and best practices around the world. (आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग)

4. Free of cost allocation of equal size land, on a 3 year temporary usage basis, suitable for housing, construction plant & machinery, labor colony and material stores ("Construction Work Land Parcel"). The Construction Work Land Parcel should be adjacent to the Land, but shall in any case be within a 3 km radius from the Land. (राजस्व विभाग)
5. Provision of utilities and infrastructure connectivity with larger Ayodhya including but not limited to, water, electricity, sewage, roads, storm water drainage and state fiber optic data network. (भावास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, नगर विकास विभाग)

6. Provide close to the Land, access to underground sewage network to municipal sewage treatment plant and effluent treatment plant for disposal of sewage and waste-water generated at the Land and at the Construction Work Land Parcel. (नगर विकास विभाग)
7. Strengthening of local PWD roads, culverts and bridges as may be necessary to allow case of movement of the construction machinery. (लोक निर्माण, आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग)
8. Adequate provision of storm water drain system to ensure no water logging during monsoon or otherwise on the Land and Construction Work Land Parcel. (सिंचाई, नगर विकास विभाग)

IV. LONG TERM INFRASTRUCTURE

GoUP commits to provide the following as long-term infrastructure for the Project:

1. Adopt an eco-system development approach and attempt to develop the physical infrastructure required for and around the Land. Further, the GoUP should also ensure

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

proper maintenance of internal roads, water distribution infrastructure, street lighting, drainage facilities, landscaping, river front development and green area, etc. around the Land. (नगर विकास विभाग)

2. When the water pipeline is laid in the vicinity of the Land, a good quality water connection shall be provided from the nearest tap off point upto the water storage facility on the Land. (नगर विकास विभाग)
3. Construct an appropriate size road with proper drainage facility to ensure seamless connectivity of the museum with other tourist attractions in Ayodhya. (नगर विकास विभाग)
4. Supply uninterrupted 24x7 electricity to the Museum on a best efforts basis. (ऊर्जा विभाग)
5. fiber connectivity (without bandwidth constraint) and other infrastructural support as well integration with public domain internet platforms is essential for the Museum. (नगर विकास विभाग)
6. High quality public roads and transportation infrastructure connecting the Land for employee mobility and last mile connectivity. (आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण, नगर विकास विभाग)
7. Waiver of the requirement to transfer the roads and common utilities developed & maintained by the Project on the Land to the relevant Government Instrumentality All the facilities created for the Project shall continue to be possessed and operated by the Implementing Entity
8. Public transportation development and connectivity to airport, railway for easy access by visitors to the Museum (क्रिका विभाग)

9 All solutions to minimize congestion and borst access to the Museum by public. (नगर विकास विभाग)

Schedule II

Indicative List of Approvals Required for Construction. - GoUP to provide Single Window clearance upon requisite application made by the Implementing Entity.

1. Approvals required

(A) Feasibility Stage

1. Ownership Certificate/Extract
2 Non-Encumbrance Certificate
3 Change in Land Use (CLU) Approval/ Non-Agriculture (NA) Permission
4. Airport Clearance (if applicable)
5. CRZ (Coastal Regulatory Zone) Clearance
6. Wet Land use clearance

(B) Sanction Stage

1. Layout & Building Plan Approval
2. Development/Construction License
3. Demarcation/Zoning Plan Approval
4. Environment Clearance
5. NOC for Tree Cutting

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. NOC for Drainage & Sewerage
7. Electrical Scheme Approval
8. NOC for Traffic & Coordination
9. Fire Fighting Scheme Approval
10. Ancient Monument Approval (if applicable)
11. Consent to Establish & Operate (DG Sets & STP)
12. Borewell Registration Certificate
13. Excavation/Mining Approval
14. Internal Infrastructure Layout & Common Facilities Approval
15. Road Access Plan Approval
16. Lift Escalator Installation Approval
17. Sanction of Electrical Load and Approval for installation of Substation, Transformer & DG Sets
18. a) Registration of Principal Employer
(b)Grant of labour license
19. Registration with Building Construction Workers Welfare Board
20. Site Office Approval
21. Hoarding Approval
22. Intimation of Disapproval (IoD)/ Commencement Certificate

(C) After Completion

1. Completion Certificate (CC)
2. Permanent Power Connection
3. Permanent Water Connection
4. Permanent Sewerage Connection
5. Registration of Residents' Welfare Association (RWA)
6. Occupancy Certificate (OC) or permission to operate
7. Fire NOC Note: Schedule II consists of an indicative list of approvals necessary for construction and is subject to additional requirements in the future.

संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के दायित्व

- संग्रहालय के सूचीबद्ध दस्तावेज (Content Document) तैयार करना, कलाकृतियों का स्थानांतरण तथा संग्रहालय के क्यूरेशन और प्रदर्शन पर सुझाव देना।

- कार्यान्वयन इकाई को मंदिरों/संस्थानों, विशेषज्ञ संग्रहालय, तक पहुंच प्रदान करने में सुविधा प्रदान करना तथा पूरे भारत से कोई भी तीसरे पक्ष या संगठन से ज्ञान का हस्तांतरण और सभी आवश्यक सहमति प्राप्त कर कार्यान्वयन इकाई को सुविधा प्रदान करना।
- कार्यान्वयन इकाई के लिखित अनुरोध पर संग्रहालय के कार्यान्वयन और संचालन के लिए किसी भी सरकारी साधन से आवश्यक ऐसे लागू परमिट तथा समय-समय पर संरक्षण गतिविधियों के अनुसार सहमति या अनुमति की सुविधा प्रदान करना।
- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार कार्यान्वयन इकाई को सी०एस०आर० फंडिंग की पात्रता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों से विनियामक मंजूरी की सुविधा प्रदान करना ।अन्य नियम एवं शर्ते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

- एम०ओ०पू० की अवधि पार्टियों द्वारा निष्पादन तिथि से शुरू होगी और कार्यान्वयन इकाई के गठन के साथ सह-समाप्ति तक लागू रहेगी, जब तक कि पार्टियों के आपसी लिखित समझौते से पहले समाप्त न हो अन्यथा जैसा समझौता ज्ञापन में प्रदान किया गया है।
- संग्रहालय का नाम, लोगो और ब्रांडिंग कार्यान्वयन इकाई, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तय किया जाएगा।
- निदेशक मंडल में 7 (सात) निदेशक होंगे। भारत सरकार को 1 (एक) निदेशक को नामित करने का अधिकार होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को 2 (दो) निदेशकों को नामित करने का अधिकार होगा और टाटा को बोर्ड में 4 (चार) निदेशकों को नामित करने का अधिकार होगा।
- बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष होगा जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित 2 (दो) गैर-कार्यकारी निदेशकों में से नियुक्त किया जाएगा।
- एम० ओ०यू० की समाप्ति पर, संग्रहालय के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई भी कलाकृतियाँ या ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएँ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में निहित होंगी, और भूमि और उसमें मौजूद सभी संरचनाएँ उत्तर प्रदेश सरकार में निहित होंगी। सूचीबद्ध दस्तावेज में बौद्धिक संपदा अधिकार संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के पास होंगे।

11- उल्लेखनीय है कि टाटा संस द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० में प्रस्तावित व्यवस्थानुसार मंदिर संग्रहालय निर्माण हेतु चयनित भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। उक्त भूमि पर सी०एस०आर० के माध्यम से मंदिर संग्रहालय के विकास एवं संचालन हेतु संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा टाटासंस के संयुक्त प्रतिनिधित्व एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में गठित्त एस०पी०वी० को भूमि उपयोग किये जाने की अनुमति/लाइसेंस 90 वर्ष हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।

12- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन किये जाने के संबंध में मा० मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 25.06.2024 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) प्रस्तर 5 में उल्लिखित अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमधरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि० जुमला में टाटा ग्रुप के सहयोग (सी०एस०आर० फण्ड) द्वारा विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु भूमि के उपयोग का 90 वर्ष का लाइसेंस रू0 1/- प्रतिवर्ष की टोकन दर पर दिये जाने पर अनुमोदन।

(ख) प्रस्तर-10 के अनुसार विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं टाटा संस प्रा.लि. के मध्य त्रिपक्षीय एम०ओ०५० (अनुलग्नक-1) को उ०प्र० सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने पर अनुमोदन ।

(ग) प्रस्तर-10 में उल्लिखित एम०ओ०यू० को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकारी नामित करने के लिए प्रमुख सचिव पर्यटन, उ०प्र० शासन को अधिकृत किये जाने पर अनुमोदन।

(घ) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया जाना।

13- जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1) संग्रहालय के प्रारम्भ होने के तीन वर्षों के उपरान्त भी संचालन एवं रख-रखाव पर होने वाला व्यय टाटा संस द्वारा अपने स्रोतों से वहन करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

(2) SCHEDULE-I (II) LAND PARCEL के बिन्दु सं0-5 Removal of all existing unwanted utility and associated structure (whether underground or overground from the construction area of the Land) में निहित व्यय की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी।

(3) राजस्व सम्बन्धी नियमो अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था का उल्लघंन न होने पाये, को दृष्टिगत रखते हुए जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि० रकबा 25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

एकड़ नजूल भूमि टाटा संस, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की भागीदारी से गठित एस०पी०वी० के माध्यम से मंदिर संग्रहालय का निर्माण एव संचालन किये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियमों एवं विधि व्यवस्था के अनुसार उक्त चिन्हित भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में आवंटन / हस्तान्तरण किया जायेगा।

(4) शासनादेश संख्या-1/443049/2023 दिनांक 06.12.2023 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) सामान्य प्रशासन अनुभाग के अधिसूचना संख्या-983/तीन-2020-47-2(10)-94 दिनांक 20 जनवरी, 2021 जिसके द्वारा युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिसूचना संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जनपद अयोध्या के तहसील सदर के 14 ग्रामों की कुल 13391 भूमि अधिसूचित किया गया है, जिसमें ग्राम मांझा जमधरा की कुल 2211 एकड़ भूमि भी सम्मिलित है। जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 01 मई, 2024 द्वारा ग्राम मांझा जमथरा की अधिसूचित भूमि को डि-नोटिफाई किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिलाधिकारी, अयोध्या के प्रस्ताव के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ग्राम मांझा जमध्रा की अधिसूचित भूमि को डि-नोटिफाई किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(6) नये संयोजनों हेतु उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा दरें निर्धारित हैं। विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किये जाने के उपरान्त वर्तमान विभागीय नियम एवं शर्तों के अनुरूप लागू विद्युत टैरिफ के अन्तर्गत विद्युत संयोजन निर्गत करने की कार्यवाही ऊर्जा विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए आवश्यक Infrastructure सुविधा का विकास भी कार्यदायी संस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुए किया जायेगा

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

वित्त विभाग, न्याय विभाग, नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग, आवास विकास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभागएवं सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन ।

5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० ।
6. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ०प्र०।
7. मण्डलायुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।
8. जिलाधिकारी, अयोध्या ।
9. श्री सुप्रकाश मुखोपाध्याय, कम्पनी सचिव, टाटा सन्स प्रालि ।
10. निदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ ।
11. गार्ड फाइल।-

आज्ञा से.

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in